आदेश एवं आदेश की तिथि	अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, साहेबगंज राजस्व विविध सं०-03/2019	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
१	२	३
23-11-22	अंचल अधिकारी बरहरवा बनाम् अब्दुल वासेद पे0 स्व0 फरीजद्दीन विश्वास मौजा आहुत ग्राम सं0 – 62 **ओदश** प्रस्तुतवाद अनुमंडल पदाधिकारी –सह– भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के पत्रांक–10/रा, दिनांक–10.02.2018 द्वारा अवैध/अनियमित जमाबंदी का अभिलेख अनुसंशा सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया है। न्यायालय अर्न्तगत् पंजीकृत करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत् किया गया। नोटिस के तामिला प्रतिवेदन के आधार पर उभय पक्षों के द्वारा न्यायालय में तारीख पर अपना उपस्थिति दर्ज कराया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के आदेश दिनांक–10.02.2018 में कहा गया है कि,अंचल अधिकारी, बरहरवा के पत्रांक–94/रा, दिनांक–25.01.2018 के द्वारा खाता सं0–155 दाग सं0–666 रकवा–00–08–00 रैयत अब्दुल वासेद पे0 फरीजुद्दीन सेख सा0 आहुत ग्राम के नाम कायम अवैध/अनियमित जमाबंदी को रद्द करने के अभिलेख अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ। अंचल अधिकारी, बरहरवा ने मौजा आहुत ग्राम के जमाबंदी नं0–155, दाग सं0 – 666, रकवा – 00–08–00, किस्म – गोचर जो गैरमजरूआ आम के अर्न्तगत् हाने के अवैध/अनियमित जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा किया है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची के संकल्प सं0–6144/रा0,दिनांक–21.12.2017 विभागीय परिपत्र सं0 914/रा0, दिनांक–09.12.1998 एवं पत्रांक– 2074/रा0, दिनांक–13–06–2016 के द्वारा गैरमजरूआ आम एवं खास भूमि पर अवैध/अनियमित जमाबंदी को BLR Act 1950 के तहत् समुचित कार्रवाई किये जाने का उल्लेख है। विपक्षी अब्दुल वासेद के विद्वान अधिवक्ता के तरफ दिनांक–15.10.2022 को न्यायालय को उपलब्ध करोय गये दस्तावेजों के सूची में वन्दोवस्त कार्यालय, दुमका के Objection case No–2013/16 का फोटो प्रति दाखिल किया गया तथा एक Not Final पर्चा का फोटो	

प्रति दाखिल किया गया है जिसमें उनका कहना है कि मौजा आहुतग्राम No–62 जमाबंदी सं0–155, दाग सं0–666 के कैफियत कॉलम में दखल इस्माईल सेख व मो0 अली, पिता अब्दुल वासेद जाति सेख दर्ज है।

अभिलेख के सागोपांग तथा अंचल अधिकारी, बरहरवा के वाद सं0–01/17–18 के अवलोकन के पश्चात् मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि अंचल अधिकारी के आदेश मौजा आहुतग्राम, थाना नं0–62 खाता सं0–155 दाग सं0–666 रकवा–00–08–00, किस्म गोचर है। विपक्षी के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा संबंधित भूमि के संदर्भ में Not final पर्चा की बात की गई है। जबतक Survey Sattlement कार्यालय से संबंधित रैयत का गजट प्रकाशन के उपरांत Final पर्चा निर्गत् नही हो जाता तबतक दावे को उस पर्चा के आधार पर नियमित नही माना जा सकता है।

संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत् गोचर भूमि को किसी रैयत के नाम से कभी भी वन्दोवस्त नहीं किया जा सकता है। उक्त भूमि पर धारित जमाबंदी अवैध /अनियमित श्रेणियो के अर्न्तगत् आता है बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियत 1950 की धारा 4 (h) के तहत् जमाबंदी रद्द् करने की अनुशंसा अंचल अधिकारी ,बरहरवा एवं DCLR/SDO राजमहल से भी की गई है। जिससे मै सहमत हूँ।

परन्तु संदिग्ध जमाबंदी संबंधित जाँच प्रतिवेदन में वर्ष 2000–2001 से 2011–2012 तक लगान रसीद अंचल कार्यालय से निर्गत् है तथा विपक्षी वर्त्तमान में उक्त भूमि पर दखल काबिज भी है। किसी प्रकार की धारित जमाबंदी को रद्द् करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है।

अतएव धारित अवैध जमाबंदी को रद्द् करने की अनुशंसा साथ वाद को सिविल न्यायालय में अंतरित किया जाता है।
वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

<u>आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजे।</u>

लेखापित एवं संशोधित।

23/11/22

अपर समाहर्त्ता,
साहेबगंज।

Digitally signed by BINAY KUMAR MISHRA
Date: 2023.01.11 13:39:03 +05:30
Location: 192.168.1.6

अपर समाहर्त्ता,
साहेबगंज।